

प्रेषक,  
डी०एस० गर्ब्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
चकबन्दी संचालक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ४ अक्टूबर, 2012

विषय—जनपद हरिद्वार के ग्राम पनियाला चन्दापुर, डेलना, सडोली, नगलाचीना, शेरपुर खेलमऊ, रूड़की (बाहर हदूद), बढेड़ी राजपुतान एवं जैतपुर कुल आठ ग्रामों में धारा 52(1) की विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-2244/चक०सं०/2012 दि०-5.7.2012, पत्र सं०-2217/चक०सं०/2012 दि०-5.7.2012, पत्र सं०-903/मु०रा०आ०/2012 दि०-20.3.2012, पत्र सं०-1322/मु०रा०आ०/2012 दि०-26.4.2012 एवं पत्र सं०-1520/रा०प०-त०न०त०/2012 दि०-14.5.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जनपद हरिद्वार के परगना भगवानपुर के अंतर्गत ग्राम पनियाला चन्दापुर, डेलना, सडोली, परगना मंगलौर के अंतर्गत ग्राम नगलाचीना, शेरपुर खेलमऊ, परगना रूड़की के अंतर्गत ग्राम रूड़की (बाहर हदूद), बढेड़ी राजपुतान एवं परगना ज्वालापुर के अंतर्गत ग्राम जैतपुर कुल आठ ग्रामों में धारा 52(1) की विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने हेतु शासन स्तर से अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया इस संबंध में तत्काल नियमानुसार अग्रतः कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्ब्याल)  
सचिव।

प०प०सं०-५९५/समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार।
2. बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, हरिद्वार, रूड़की।
3. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. प्रभारी मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव।